संख्या-7/2024/बी-1- 853 /दस-2024

प्रेषक,

**आलोक दीक्षित,**

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता,**
लोक निर्माण विभाग,
(बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 26 सितम्बर, 2024

**विषयः** लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्क्स" से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड का आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनाँक 04 मई, 2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, झाँसी को तथा शासनादेश संख्या-22/2022/बी-1-713/दस-2022 दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, वाह्य साहयतित परियोजना खण्ड, बहराइच को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए क्रमशः डी.डी.ओ. कोड संख्या-4905 एवं 4903 आवंटित की गयीं हैं ।

2. उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त शासनादेश दिनाँक 04 मई, 2022 एवं शासनादेश दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से नीचे दी गयी तालिका के 'कॉलम-I' में आवंटित डी.डी.ओ.कोड संख्या क्रमशः 4905 एवं 4903 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर 'कॉलम-II' में उल्लिखित प्रखण्डों के अधिशासी अभियन्ता को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए उनके सम्मुख अंकित डी.डी.ओ.कोड संख्या आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

| **अधिकारी एवं जिनका डी.डी.ओ.कोड निरस्त किया जाना है ।** | | | **अधिकारी एवं खण्ड, जिन्हें डी.डी.ओ.कोड आवंटित किया जाना है ।** | |
|---|---|---|---|---|
| **(I)** | | | **(II)** | |
| क्रम संख्या | पूर्व से नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी । | डी.डी.ओ. कोड | प्रस्तावानुसार नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी । | आवंटित डी.डी.ओ. कोड |
| 1. | अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, झाँसी । | 4905 | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, प्रयागराज । | 4910 |
| 2. | अधिशासी अभियन्ता, वाह्य साहयतित परियोजना खण्ड, बहराइच । | 4903 | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, प्रयागराज । | 4911 |

उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 04 मई, 2022 एवं शासनादेश दिनाँक 17 अक्टूबर, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझे जाएँ ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्तानुसार आवंटित डी.डी.ओ.कोड संख्या से "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण का कार्य" सम्पन्न किया जाएगा।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

**संख्या-7/2024/बी-1-853 (1)-दस-2024, तद्दिनाँक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी, प्रयागराज एवं बहराइच।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10.
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।